| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.07.25 | पत्रावली पेश हुई।<br>दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।<br>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।<br>प्रार्थीगण अधिवक्ता की दलील है कि प्रार्थीगण के खेत खसरासंख्या 1352 के बदिशा दक्षिण की तरफ स्थित खसरा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1923/1753,1350,1351,1340 में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु एक मात्र निकटतम रास्ता है प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है, लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते के क्षतिपूर्ति के रूप में विप्रार्थीगण को दुगनी राशि देने को सहमति है।<br>विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट मे ंदर्शित बरंग आसमानी से दर्शित भूमि वैकल्पिक रास्ते के रूप में मौजूद है करते आ रहे है, उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण द्वारा आवागमन हेतु किया जा रहा है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए अनुसार जब कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो तथा आवागमन किया जा रहा है तो नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है, प्रार्थीगण के पास आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।<br>हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया।<br>तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग आसमानी से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के ,खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है,तथा उक्त रास्ता समस्त विकल्पो में से सबसे निकटतम है, तथा इसकी लम्बाई भी प्रार्थीग्ण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।<br>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसारः—<br>(1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और<br>(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है:—<br>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा अनुसार नया रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई | |

उपखण्ड अधिक
सिवाना (बालोतरा)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम की तामील हुए |
|---|---|---|
| | वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) DNJ (Rev.) 1368 BORAD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि ***जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है।***<br>हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण रास्ते के अभाव को सिद्ध करने में असफल रहे है।<br>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश आज दिनांक 21.07.2025 को सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिवाना (बालोतरा) | |